फर्द अहकाम

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी

मुकाम– धोद मु. सीकर

~~[illegible]~~ रामलाल

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा– प्रा.पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट

मु.नं. 22 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.06.2020	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती के संबंध में है, अतः तहसीलदार, धोद को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। अप्रार्थीगण को सम्मन से तलब कर/रिपोर्ट हेतु पत्रावली नियत तिथि 24.07.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
24/7/20	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानसार दिनांक 7/9/20 को पेश हो	
7/9/20	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानसार दिनांक 15/10/20 को पेश हो	
15/10/20	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानसार दिनांक 25/11/20 को पेश हो	
25/11/20	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानसार दिनांक 05/01/21 को पेश हो	
05/02/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 12/02/21 को पेश हो	
12/02/21	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/2/21 को पेश हो	
15/2/2021	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन [illegible] ग्राम फागलवा तहसील धोद के खसरा सं. 576 रकबा [illegible]200 हेक्टेयर, खसरा सं. 577 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 611 [illegible]600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.[illegible] हेक्टेयर [illegible] रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामू पुत्र बन्ना अंकित है। जब[illegible] प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र बन्नाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र बन्नाराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामू पुत्र बन्ना के स्थान पर रामलाल पुत्र बन्नाराम दुरूस्त किया जावें। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''ग्राम में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों व आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र में रामलाल पुत्र बन्नाराम दर्ज है।'' अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रार्थी स्वयं के शपथ–पत्र व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फागलवा तहसील धोद के खसरा सं. 576 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 577 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 811 रकबा 4.0600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.1100 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामू पुत्र बन्ना के स्थान पर रामलाल पुत्र बन्नाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested